



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना खंदौली जनपद आगरा।

15.10.2021

थाना खंदौली पुलिस टीम द्वारा मिश्रित अवैध शराब की बिक्री करने वाली 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार कब्जे से 14 पेटी मिश्रित अवैध शराब की पेटी व 1.5 किलो यूरिया बरामद...

दिनांक 14.10.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक महिला व एक व्यक्ति ग्राम नन्दलालपुर में अपने मकान में नकली शराब में यूरिया मिलाकर बेच रहे है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए एक अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया व अभियुक्त फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्ता से व निशानदेही पर 14 पेटी मिश्रित शराब की बरामद हुयी। इस सम्बंध में थाना खंदौली पर मु0अ0सं0 294/21 धारा 272/420/467/ 468/471 भादवि व 60/60(ए) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➤ पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किये जाने पर गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि फरार अभियुक्त मेरा पति है। बरामद शराब के सम्बन्ध में बताया कि इस शराब को मेरे पति कही से खरीदकर लाते है और हम दोनो मिलकर उसे ज्यादा ग्राहक बनाने के चक्कर में शराब में थोडी यूरिया डालते है जिससे इसे पीने से और ज्यादा नशा हो जाता है इसलिये यहां लोग ठेका से न खरीदकर हमारे पास से कम दामों में खरीदकर ले जाते हैं।

➤ गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण :-

01. रचना पत्नी विक्रम उर्फ खचेरा निवासी ग्राम नन्दलालपुर थाना खंदौली जनपद आगरा।

बरामदगी :-

1. 14 पैटी मिश्रित अवैध शराब।
2. 1.5 किलो यूरिया।

➤ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 294/21 धारा 272/420/467/468/471 भादवि व 60/60(ए) आबकारी अधिनियम थाना खंदौली जनपद आगरा।

पुलिस टीम :-

प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार गौतम मय टीम थाना खंदौली जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा